कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2024/655 भिलाई, दिनांक 09.09.24

//आदेश//

नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत् श्री धर्मरक्षक पाठक, चौकीदार के विरूद्ध निम्नानुसार शिकायत प्राप्त हुई है :–

1. श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा किये गये शिकायत दिनांक 21.06.2024 अनुसार श्री धर्मरक्षक पाठक, चौकीदार अन्य जोन क्षेत्रान्तर्गत वार्डो में घूम–घूमकर जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर भिलाई में पदस्थ श्री अंजनी कुमार सिंह के नाम पर अवैध रूप से वसूली की जा रही है, जबकि उनका कार्याक्षेत्र जोन क्रमांक 05 सेक्टर 6 है।

प्राप्त शिकायत के संबंध में श्री धर्मरक्षक पाठक, चौकीदार को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 242 भिलाई दिनांक 03.07.2024 के द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया गया। उक्त संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 05.07.2024 संतोषप्रद नही है।

2. श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती स्मृति नगर भिलाई द्वारा किये गये शिकायत दिनांक 06.09.2024 के अनुसार मेरे नाम से रजिस्टर्ड मकान में रहता हूँ। मेरे मकान में कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है इससे सम्बंधित कुछ निर्माण सामग्री मेरे घर से संलग्न जगह में रखा है। दिनांक 4 सितम्बर की दोपहर को एक व्यक्ति मेरे घर आये जिन्होंने अपना नाम पाठक, फोन नंबर 98933–36792 एवं अपना ओहदा रेवेन्यु अधिकारी, नगर निगम कार्यालय सुपेला बताया। उस समय मैं घर में नहीं था उन्होंने मेरे छोटे भाई कौशिक चक्रवर्ती को बताया कि मेरे विरुद्ध किसी ने शिकायत किया है एवं मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने पांच हजार रुपयों की मांग की। उन्होंने बताया, कि वे सब कुछ देख लेंगे. मेरे भाई ने प्रमाण के तौर पर ऑनलाइन एक हजार रुपये ट्रान्सफर किया जो डी.आर.पाठक के खाते में ट्रान्सफर हुआ। मैं इस पत्र के साथ इस लेन देन का स्क्रीन शॉट संलग्न कर रहा हूँ।

श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न अवैध लेन–देन का स्क्रीन शॉट में ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से 1000.00 रूपये श्री धर्मरक्षक पाठक द्वारा अपने खाते में प्राप्त किये है एवं मोबाईल में लिये गये फोटोग्राफ से प्रथम दृष्टया श्री धर्मरक्षक पाठक, चौकीदार दोषी प्रतीत होते है, उनके द्वारा किये गये उक्त आचरण से निगम की छबि धूमिल हुई है।

श्री धर्मरक्षक पाठक, चौकीदार का उपरोक्त कृत्य पद के विरूद्ध आचरण, अपराधिक प्रवृत्ति, कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नही करने का परिचायक है, जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के (1)(2)(3) के विपरीत है।

अतः श्री धर्मरक्षक पाठक, चौकीदार को उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जोन क्रमांक 04 शिवाजी नगर अनुविभाग कार्यालय में रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमश.......

Scanned with CamScanner

पृ.क्र / एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2024/656 भिलाई, दिनांक 09.09.24

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को निगम भिलाई की वेबसाईट में अपलोड हेतु सूचनार्थ।
9. **श्री धर्मरक्षक पाठक, चौकीदार नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।**

Devesh

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner